प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0सं0 88 /2022 दिनांक 11-3-22
   (I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराऐं 13(1)(ई) सहपठित 13(2) एवं
   पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 धाराऐं 12, 13 (1)(बी) सपठित धारा 13(2)
   (II) अधिनियम.....धाराऐं –109, 120बी भा.द.सं.
   (III) अधिनियम.....धाराऐं.....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 228 समय 1.35 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन.....दिनांक.....समय.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.....समय.....
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – .....
   .....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....
   पुलिस थाना.....जिला.....
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
   (अ) नाम –
   (ब) पिता / पति का नाम
   (स) जन्म तिथि / वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता.....
   (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय.....
   (ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री कैलाशचंद बुनकर पुत्र श्री हरिकिशन बुनकर निवासी ई–570, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर हाल प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम शाखा किशनगढ अजमेर
   2. श्रीमती कमलेश बुनकर पत्नी श्री कैलाशचंद बुनकर निवासी ई–570 मुरलीपुरा स्कीम जयपुर
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम के विरूद्ध सूत्र सूचना पंजीबद्व कर आरोपित द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, उसकी आम छवि, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में गोपनीय रूप से सूचनाऐं संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रदान किये गये थे। उक्त आदेशों की पालना में मन सत्यापनकर्ता ने गोपनीय सूत्र स्थापित कर संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों के बारे

में पूछताछ कर लिखित/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु ताकीद की गई। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त रिकार्ड/सूचनाएं शामिल जांच किये गये। इसके अलावा सूचना संकलन हेतु सूत्र भी मामूर किये गये। सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

सदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर पुत्र श्री हरिकिशन बुनकर (PAN NUMBER - AAZPB9393A) मूल रूप से बागासियों की मोरी, चौमू जिला जयपुर राज0 के रहने वाले है एवं वर्तमान में मकान नं0 ई–570, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में परिवार सहित निवासरत है। संदिग्ध अधिकारी के पिता कृषि कार्य करते थे जिनकी काफी समय पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। संदिग्ध अधिकारी 05 भाई है जिनमें से 02 की मृत्यु हो चुकी है शेष तीनों भाई अपने अपने परिवार सहित अलग– अलग निवास करते है। संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती बिरमीदेवी संदिग्ध अधिकारी के साथ ही ई–570 में निवास करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती कमलेश बुनकर के साथ सम्पन्न हुआ है। श्रीमती कमलेश बुनकर (PAN NUMBER - AEQPB5512G) एक सामान्य ग्रहिणी होने के साथ साथ "गोठवाल डवलपर्स " नामक फर्म का अपने पुत्रों के साथ 50 प्रतिशत हिस्सेदारी में संचालन कर रही है। संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र योगेश एवं मयंक है जिन्होने जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। संदिग्ध अधिकारी के बडे पुत्र योगेश का विवाह हो चुका है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति 02.11.1983 मे राजस्थान वित्त निगम में कनिष्ट सहायक/टाईपिस्ट के पद पर हुई थी और पदोन्नति लेकर वर्तमान में राजस्थान वित्त निगम के ब्रांच ऑफिस किशनगढ, अजमेर में प्रबंधक/प्रभारी के रूप में पदस्थापित है। संदिग्ध अधिकारी समय–समय पर राजस्थान वित्त निगम की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित रहा है। गोपनीय सत्यापन से आरोपित अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना ज्ञात हुआ है। **संदिग्ध अधिकारी की दिनांक 31.01.2023 में सेवानिवृति है**। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान जयपुर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं एवं अपनी पत्नी के नाम से परिसम्पतियां क्रय की गई है जो राजस्व रिकॉर्ड एवं अचल सम्पति विवरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में भी निवेश किया जाना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं तथा अपनी पत्नी श्रीमति कमलेश बुनकर के नाम से विभिन्न व्यवसायिक/आवासीय/कृषि भूमियों में निवेश किया है, जिनमें प्रमुख रूप से चौमू, बगवाडा तहसील आमेर, गोविन्दपुरा तहसील शाहपुरा, निझर तहसील शाहपुरा, प्रतापपुरा तहसील फुलेरा, मिंडिक्या तहसील फुलेरा, सिंवार तहसील जयपुर, विश्वकर्मा औधोगिक क्षैत्र जयपुर, औधोगिक क्षैत्र कालाडेरा तथा मुरलीपुरा स्कीम जयपुर में व्यवसायिक/आवासीय/कृषि भूमि क्रय कर रखी है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पत्ति खरीद हेतु पूर्व में जितने भी लोन लिये गये है उनको एक–दो वर्ष में ही वापस बैंक में जमा करा कर लोन बंद करा देता है। जिससे स्पष्ट होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा राजस्थान वित्त निगम में अपने पदीय कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हुए अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई है। सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

1. **ज्ञात स्त्रोतों से वैध आय** :–
   1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (1983 से फरवरी 2022) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष फरवरी 2022 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित वैध अनुमानित आय – **1,36,83,699/**
   2. एस.ओ की पत्नी श्रीमती कमलेश बुनकर की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय – **35,56,066/**
   3. ग्राम बगवाडा, जयपुर की भूमि को बेचान करने से हुई आय – **16,50,000/**

   कुल वैध आय **1,88,89,765/**
2. **खर्चा** :–